

विषय,

सोपाल मीणा,  
श्रमायुक्त, बिहार ।

सेवा में,

उप श्रमायुक्त, पटना ।

सहायक श्रमायुक्त, सारण(छपरा) ।

श्रम अधीक्षक, औरंगाबाद/मधेपुरा/सीतामढ़ी-01 ।

पटना, दिनांक 03.10.16

विषय:-

मुख्य शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-उप मुख्य शीर्ष 01 श्रम कानून शीर्ष 789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-मॉड सं०-26-उप शीर्ष 0104 बाल श्रमिक तंत्र का सुदृढीकरण (विषय क्रोड-पी० 2230017890104) के अन्तर्गत निधि का आवंटन ।

महेश्वर,

उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में विभागीय सर्वेक्षणार्थ संख्या 2239 दिनांक 20.5.16 के आलेख में बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण योजनान्तर्गत विमुक्त कराये गये/कराये जानेवाले बाल श्रमिकों हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में 31 मार्च, 2017 तक व्यय के निमित्त सामग्री एवं पूर्तियाँ इकाई (21 01) में ₹ 1500/- राशन एवं ₹ 300/- वस्त्र अर्थात् कुल ₹ 1800/- प्रति बाल श्रमिक की दर से सभी 25 बाल श्रमिकों को संलग्न विवरणी के अनुसार निधि का आवंटन किया जाता है।


2. यह आवंटन कुल ₹ 45,000 ( ₹ पैतालीस हजार) मात्र वित्त विभाग के पत्रांक-423/वि० दिनांक-31.03.16, पत्रांक-4572/वि० दिनांक-03.06.2016 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापक-2561/वि० (2) दिनांक 17.04.98 के आलेख में है ।

3. इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय । यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा ।

4. आवंटित राशि से हुए व्यय का व्यय प्रतिवेदन/उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में ससमय उपलब्ध करा दी जाय ।

5. यह आवंटन राज्य योजना से संबंधित है ।

विश्वास भूजन,


  
(गोपाल मीणा)

श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापक:-6/एफ1-305/2016 श्र0सं0- 80

पटना, दिनांक 4.10.16

प्रतिलिपि- अनुलग्नक सहित महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

  
(गोपाल मीणा)

श्रमायुक्त, बिहार।


\*स्पीड पोस्ट

ज्ञापक:-6/एफ1 305/2016 श्र0सं0- 80

पटना, दिनांक 4.10.16

प्रतिलिपि- अनुलग्नक सहित प्रधान सचिव के-आफ सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त /संबंधित जिला पदाधिकारी /\*संबंधित कोषागार /उप कोषागार पदाधिकारी/प्रशाखा-2 सरकार पक्ष /सहायक श्रमायुक्त, प्रभारी पदाधिकारी, मुख्यालय एवं प्रशाखा-01 को उनके गै०स०प्र०सं०-268, 284, 197, एवं 236 (श्रम पक्ष) क्रमशः दि.-26.08.16, 12.09.16, 22.07.16, एवं 05.08.16 के आलेख में)/ आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना /प्रशाखा-6, श्रम पक्ष एवं व्यय विवरणी शाखा, प्रशाखा-06 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उपयोगिता प्रमाण पत्र का संश्लेषण संबंधित शाखा प्रशाखा-01 द्वारा किया जायेगा ।


  
(गोपाल मीणा)

श्रमायुक्त, बिहार।

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-2239 दिनांक 20.5.16 के आलोक में मुख्य शीर्ष 2230-श्रम तथा नौजगार उप मुख्य शीर्ष-01-श्रम-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-मौग सं०-26-उप शीर्ष-0104-काल श्रमिक तंत्र का सुदृढीकरण (विपत्र कोड-पी० 2230017890104) के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में 31 मार्च, 2017 तक व्यय के निमित्त निधि का समेकित आवंटन की विवरणी-

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	वर्ष की संख्या	मांगों एवं पूर्ति (21-01) ₹ 1500/ राशन एवं ₹ 300/-वस्त्र हेतु प्रति बाल श्रमिक	विवरण
1	2	3	4	5
1	उप श्रमायुक्त, पटना	03	5400	श्रम अधीक्षक, बाढ़ के पत्रांक 01 दि.-28.08. 2016 के आलोक में।
2	श्रम अधीक्षक, औरंगाबाद	09	16200	श्रम अधीक्षक, औरंगाबाद के पत्रांक-505 दि.- 07.07.2016 के आलोक में।
3	श्रम अधीक्षक, मधेपुरा	12	21600	श्रम अधीक्षक, मधेपुरा के पत्रांक-252 दि.-14. 07.2016 के आलोक में।
4	श्रम अधीक्षक, सीतामढ़ी-01	01	1800	श्रम अधीक्षक, सीतामढ़ी-01 के पत्रांक- 699 दिनांक- 02.07.16 के आलोक में।
कुल योग		25	45000	

कुल आवंटित राशि ₹ 45,000 ( ₹ पैतालीस हजार) मात्र ।

  
 (सोपान मीणा)  
 श्रमायुक्त, विहार।